राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2025/1091 दिनांक 29/09/2025

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/17945754 दिनांक 24.09.2025 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 108/2025-26 के द्वारा मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़ के क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलियाओं की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु कुल 728 कार्यो को स्वीकृत किया गया है। जिसके अनुसरण में तात्कालिक एवं अस्थाई मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर. एफ.) से प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

सड़क मरम्मत हेतु

(राशि लाखों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील झालरापाटन	33	57.65
2	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील पिड़ावा	30	57.33
3	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील सुनेल	20	59.80
4	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील रायपुर	23	49.08
5	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील अकलेरा	51	71.71
6	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील मनोहरथाना	47	86.34
7	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील असनावर	13	21.16
8	सनिवि खण्ड भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़	61	121.03
9	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील खानपुर	72	133.92
10	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील असनावर	19	24.80
11	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील बकानी	38	65.64
12	सनिवि खण्ड चौमेहला तहसील डग	29	69.15
	कुल योग	**436**	**817.61**

पुलिया मरम्मत हेतु

(राशि लाखों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील झालरापाटन	06	3.60
2	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील पिड़ावा	06	3.60
3	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील सुनेल	15	9.00
4	सनिवि खण्ड झालावाड़ तहसील रायपुर	22	13.20
5	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील अकलेरा	95	57.00
6	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील मनोहरथाना	13	7.80
7	सनिवि खण्ड अकलेरा तहसील असनावर	28	16.80
8	सनिवि खण्ड भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़	12	7.20
9	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील खानपुर	39	23.40
10	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील असनावर	18	10.80
11	सनिवि खण्ड खानपुर तहसील बकानी	31	18.60
12	सनिवि खण्ड चौमेहला तहसील डग	07	4.20
	कुल योग	**292**	**175.20**

कुल 436 सड़क कार्यो हेतु राशि रूपये 817.61 लाख रू. एवं कुल 292 पुलिया कार्यो हेतु राशि 175.20 लाख रू., सड़को व पुलो के कुल 728 कार्यो हेतु राशि 992.81 लाख रूपये (अक्षरे:- नो करोड़

बानवें लाख इक्यासी हजार रू. मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा प्रति किमी. की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है। अतः सा.नि.वि. उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़को के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
3. इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
4. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
5. बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. वे सड़के जो **Defect Liability Period** के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
7. बजट ऑन-लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत **Ordinary Repair & Periodical Repaor** (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़को के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबधंन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जावे।
8. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूणतः जिम्मेदारी रहेगी।
9. कार्यकारी ऐजेन्सी स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
10. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
11. प्रस्ताव में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगें।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
14. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही की जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते में आहरण नही किया जावेगा।
15. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवायी जावें।
16. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् कार्यो का कर्ा पूर्णतः प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
17. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।
18. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से स्वीकृत कार्यो का तखमीना तैयार कर यथाशीघ्र आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही सहायता विभाग से बजट मांग की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

19.बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय मे प्रस्तु करने पर बिलों के साथ कार्य आरम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात् जिओ टेग के साथ प्रथक–प्रथक फोटोग्राफ संलग्न करना सुनिश्चित करें।
20.आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2025/1092 दिनांक 29/09/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन संयुक्त सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की स्वीकृति क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2025/17945754 दिनांक 24.09.2025 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में।
2. वित्तिय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 झालावाड को लेख है की सानिवि खण्ड झालावाड़ तहसील झालरापाटन के सड़क मरम्मत के प्रस्तावों के क्र.सं. 1,2,03 पर अंकित राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यो के लिए कुल राशि 24.90 लाख की मांग की गई है। उक्त कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये है।

सानिवि खण्ड भवानीमण्डी तहसील पचपहाड़ के सड़क मरम्मत के उक्त प्रस्ताव में कार्यो का स्पष्ट (VR/SH/MDR) प्रकार नहीं बताया गया है इनमें सामान्य सड़कों का उल्लेख किया गया है। अतः अतिवृष्टि के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि उक्त स्वीकृत कार्यो की राशि का उपयोग **NH/ODR** कार्यो पर व्यय किया जाना अनुमत नहीं होगा केवल उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग **VR/SH/MDR** कार्यो पर किया जावें।

पुलिया मरम्मत के सभी प्रस्तावों के कुल कार्यो 295 हेतु राशि 3842.50 लाख की मांग की गई है, जबकि एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार प्रति पुलिया हेतु राशि 0.60 लाख देय है। अतः उक्त कुल 292 कार्यो हेतु एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार प्रति पुलिया कार्य हेतु राशि 0.60 लाख रू. के अनुसार कुल राशि 175.20 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। सानिवि खण्ड झालावाड़ तहसील झालरापाटन के क्र.स. 7 से 9 तक के पुलिया राष्ट्रीय राज्य मार्ग के होने के कारण स्वीकृत नहीं किये गये है। उक्त प्रस्ताव के शेष कार्य स्वीकृत किये गये है।

4. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग झालावाड़।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड़।
6. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
7. अधिशासी अधिकारी सा0नि0वि0 समस्त.............
8. रक्षित पत्रावली।

अति0 जिला कलक्टर
झालावाड